न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/203** दायर दिनांक **19.07.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गनी खां पुत्र हबीब खां जाति शैरानी मुसलमान निवासी शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	**बनाम्**	1. फारूख पुत्र जोमरदीन खां 2. सायरा पत्नी जोमरदीन खां 3. इदरिस रजा पुत्र दराज खां 4. बरकत बानों पत्नी दराज खां 5. असगर अली पुत्र ईजाज मो0 6. शेर मोहम्मद पुत्र ईजाज मो0 7. अब्दुल रजाक पुत्र ईजाज मो0 8. कालू खां पुत्र हबीब खां समस्त जाति शेरानी मुसलमान निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 9. तहसीलदार डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती एवम स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित–

1. श्री शरीफ शेरानी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री मो0 रफीक अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01, 02, 04, 05, 08

–:: निर्णय ::–

दिनांक **15.09.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 08 एक ही परिवार से है तथा खेत खसरा सं0 749/371 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा वाके सरहद डाबगांव, खसरा सं0 113 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा वाके सरहद शेरानी आबाद में स्थित है। वंशावली वाद के साथ पेश है। वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति खेत खसरा सं0 749/371 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा वाके सरहद डाबगांव, खसरा सं0 113 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा वाके सरहद शेरानी आबाद में स्थित है। जो भूमि संयुक्त खातेदारी में वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

उक्त खसरान की भूमि में खेत खसरा सं0 123 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण वादी के बंट में दिया हुआ है तथा खेत खसरा सं0 749/371 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा प्रतिवादी सं0 01 फारूक खां के 09 बीघा 15 बिस्वा दक्षिणी तरफ व प्रतिवादी सं0 03 इदरिस रजा के 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि बंट व कब्जाकाश्त है। प्रतिवादी सं0 02 सायरा अपना हक

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

हिस्सा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से नहीं लेना चाहती है तथा प्रतिवादी सं0 04 बरकत बानों का पति दराज खां फौत हो गया था जिसके एक मात्र पुत्र इदरिस रजा जो प्रतिवादी सं0 03 है तथा प्रतिवादी सं0 04 बरकत बानों ने आज से करीब 15 साल पूर्व दुसरी निकाह कर ली है इसलिए इनका नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें प्रतिवादी सं0 05 ता 07 की माता हुसनी बानों जो वादी के भाई जोमरदीन की पुत्री थी जिसके फौत होने के बाद प्रतिवादी सं0 05 ता 07 का नाम राजस्व रेकर्ड में आया है इसलिए इनका कब्जाकाश्त मौके पर नहीं होने से इनका नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना न्याय संगत है। प्रतिवादी सं0 08 कालू खां ग्राम शेरानी आबाद में ही 06 बीघा भूमि बंट में दे दी गई है। पक्षकारान के मध्य मौखिक बंटवारा हो चुका है जो निम्न प्रकार है :–

1. वादी गनी खां के बंट में आई भूमि :– खसरा सं0 113 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण वाके सरहद शेरानी आबाद
2. प्रतिवादी सं0 01 फारूक खां के बंट में आई भूमिः– खसरा सं0 749 / 371 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा में से दक्षिण तरफ 09 बीघा 15 बिस्वा वाके सरहद डाबगांव बंट में आई भूमि।
3. प्रतिवादी सं0 03 इदरिस रजा के बंट में आई भूमि :– खसरा नम्बर 749 / 371 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा में से उत्तरी तरफ 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके सरहद डाबगांव बंट में आई हुई है।

प्रतिवादी सं0 02 व 04 ता 08 का उक्त खसरान की भूमि में हक हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं होने से व इनका हक वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 03 के द्वारा अदा करने से उक्त खसरान की भूमि में से इनका नाम हटाया जावें।

प्रार्थना वादी है कि :–

1. वादी गनी खां के बंट में आई भूमि :– खसरा सं0 113 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण वाके सरहद शेरानी आबाद
2. प्रतिवादी सं0 01 फारूक खां के बंट में आई भूमिः– खसरा सं0 749 / 371 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा में से दक्षिण तरफ 09 बीघा 15 बिस्वा वाके सरहद डाबगांव बंट में आई भूमि।
3. प्रतिवादी सं0 03 इदरिस रजा के बंट में आई भूमि :– खसरा नम्बर 749 / 371 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा में से उत्तरी तरफ 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके सरहद डाबगांव बंट में आई हुई है।

प्रतिवादी सं0 02 व 04 ता 08 का उक्त खसरान की भूमि में हक हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं होने से व इनका हक वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 03 के द्वारा अदा करने से उक्त खसरान की भूमि में से इनका नाम हटाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 03, 06, 07, 09 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं0 01, 02, 04, 05, 08 की तरफ से वकील श्री मो0 रफीक ने वकालतनामा पेश किया तथा साथ ही इकबालिया जवाब पेश किया। वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 05 ने राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017 / 203
दायर दिनांक 19.07.2017 निर्णय दिनांक 15.09.2017
गनी खां बनाम फारूक खां, वगैरा।

इकबालिया जवाब व राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जावें तो कोई आपत्ति नहीं है। वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया है। अतः तको पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध रकेर्ड के अवलोकनोपरान्त वादि का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्व दावा जरिये राजीनामा व इकबालिया जवाब अनुसार डिक्री सादिर कर, वाके सरहद शेरानी आबाद के खसरा सं0 113 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण वादी गनी खां के बंट में, वाके सरहद डाबगांव के खसरा सं0 749 / 371 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा में से दक्षिण तरफ 09 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी सं0 01 फारूक खां के बंट में तथा खसरा नम्बर 749 / 371 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा में से उत्तरी तरफ 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 03 इदरिस रजा के बंट में घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 02 व 04 ता 08 का उक्त खसरान की भूमि में हक हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं होने से व इनका हक वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 03 के द्वारा अदा करने से उक्त खसरान की भूमि में से इनका नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **15.09.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/203**　　　　　　　　　　दायर दिनांक **19.7.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
गनी खां पुत्र हबीब खां जाति शैरानी मुसलमान निवासी शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	**बनाम्**	**1.** फारूख पुत्र जोमरदीन खां **2.** सायरा पत्नी जोमरदीन खां **3.** इदरिस रजा पुत्र दराज खां **4.** बरकत बानों पत्नी दराज खां **5.** असगर अली पुत्र ईजाज मो0 **6.** शेर मोहम्मद पुत्र ईजाज मो0 **7.** अब्दुल रजाक पुत्र ईजाज मो0 **8.** कालू खां पुत्र हबीब खां समस्त जाति शेरानी मुसलमान निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 **9.** तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती एवम स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 15.09.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शरीफ शैरानी, अधिवक्ता, वादी व श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01, 02, 04, 05, 08 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद शेरानी आबाद के खसरा सं0 113 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण वादी गनी खां के बंट में, वाके सरहद डाबगांव के खसरा सं0 749/371 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा में से दक्षिण तरफ 09 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी सं0 01 फारूक खां के बंट में तथा खसरा नम्बर 749/371 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा में से उत्तरी तरफ 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 03 इदरिस रजा के बंट में घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 02 व 04 ता 08 का उक्त खसरान की भूमि में हक हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं होने से व इनका हक वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 03 के द्वारा अदा करने से उक्त खसरान की भूमि में से इनका नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

इसी अनुरुप पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसबब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.09.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner